



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228612
CG-DL-E-30072021-228612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2844]
No. 2844]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3066(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड की दहेज़ - नागोथेन ईथेन पाइपलाइन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री विश्वनाथ नारायण वेटकोली, उप समाहर्ता (सेवानिवृत्त), महाराष्ट्र को सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. महाराष्ट्र राज्य में मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड के लिए दिनांक 18.03.2021 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12.03.2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1249(अ) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्री अरुण पी. विधाले, आई ए एस (सेवानिवृत्त), मुंबई, महाराष्ट्र को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/34/2014-जीपी-II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 3066(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Vishwanath Narayan Vetkoli, Deputy Collector (Retired), Maharashtra to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Dahej – Nagothane Ethane Pipeline of M/s. Reliance Ethane Pipeline Limited for the areas falling under District – Raigarh, Thane and Palghar in the State of Maharashtra.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. Reliance Ethane Pipeline Limited in the State of Maharashtra, Shri Arun P. Vidhale, IAS (Retired), Mumbai, Maharashtra vide S.O. 1249(E) dated 12.03.2021 published in the Extraordinary Gazette of India dated 18.03.2021 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/34/2014-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.